न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 78/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. रतनाराम पुत्र आईदानराम 2. गोरधराम पुत्र आईदानराम 3. दुर्गाराम पुत्र आईदानराम 4. तीजोदेवी पत्नी आईदानराम 5. धनाराम पुत्र फुसाराम सभी जातियान– जाट निवासी– डागवां तहसील–सिणधरी बाड़मेर।		1. उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी 2. तहसीलदार, सिणधरी।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.07.2017 जो उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी के द्वारा प्रकरण संख्या 105/2017 अनवान तहसीलदार सिणधरी बनाम रतनाराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री जोगराज पोटलिया, श्री श्रवण चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 4-09-,2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस के द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उल्लेखित प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 15.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा ग्राम डागवां तहसील सिणधरी के ख0सं0 33 रकबा 193.14 भूमि में से चल रहे बारहमासी रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के अपीलाधीन आदेश प्रसारित किये गये है।

अपीलान्ट के द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने बाबत कथन किया कि अपीलान्टस उक्त खसरान भूमि का खातेदार है तथा उक्त खसरे के एक सेढे पर आधा रास्ता और पडौसी खातेदार के ख0सं0 62 में आधा रास्ता चल रहा है। परन्तु पटवारी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हल्का द्वारा केवल अपीलान्ट के ख0सं0 33 में चल रहे रास्ते का ही प्रकरण बनाकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए अपीलान्टस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर गैर मुमकीन रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया तथा उक्त आदेशानुसार नामा0 संख्या 244 में 03.14 बीघा भूमि का रास्ता दर्ज करते हुए स्वीकृत कर दिया गया बाद में 01.14 बीघा कर दिया गया। तत्पश्चात राजस्व रेकर्ड में काट–छांट कर उक्त रकबा भूमि को पुनः 03.14 बीघा कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अंकन के सुधार हेतु तहसीलदार सिणधरी को कई बार प्रार्थना पेश किये परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। तब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 28.1.2022 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित नकले प्राप्त करते हुए यह अपील पेश की गई है। अतः उक्त निर्णय दिनांक की जानकारी दिनांक से अपील को अन्दर म्याद प्रस्तुत किया जाना मानते हुए अपील को अन्दर म्याद मान गुणावगुण पर निर्णित की जावें। अपीलान्ट के द्वारा म्याद बिन्दू पर उल्लेखित किये गये

दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उल्लेखित खसरा संख्या 33 के अपीलान्टस खातेदार है तथा घर बनाकर निवासरत है। उक्त खसरे के एक सेढे पर आधा रास्ता और पडौसी खातेदार के ख0सं0 62 में आधा रास्ता चल रहा है। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा केवल अपीलान्ट के ख0सं0 33 में चल रहे रास्ते का ही प्रकरण बनाकर राजस्व लोक अदालत कैम्प अभियान 2017 में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अपीलान्टस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर ख0सं0 33 की भूमि में चल रहे रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस यानि खसरान भूमि के खातेदारान को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना में आता है, ऐसा आदेश निरस्त होने योग्य है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि पटवारी हल्का के द्वारा पडौसी खसरा संख्या 62 के खातेदार को फायदा पहुंचाने के लिये तथ्यों को तोड मरोड कर वास्तविकता के प्रतिकूल रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई और उन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गहनता से विचार नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश के अनुसार नामा0 संख्या 244 में रकबा 03.14 बीघा भूमि का रास्ता दर्ज करते हुए स्वीकृत कर दिया गया और बाद में रकबा 01.14 बीघा कर दिया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

तत्पश्चात राजस्व रेकर्ड में काट–छांट कर उक्त रकबा भूमि को पुनः रकबा 03.14 बीघा कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अंकन के सुधार हेतु तहसीलदार सिणधरी को कई बार प्रार्थना पेश किये परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अलावा ग्राम अमरपुरा के ख0सं0 62 के खातेदार को पक्षकार को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि उक्त खसरे में से भी रास्ता चल रहा था, मात्र अपीलान्ट के खेत में से कटाण रास्ते का प्रकरण बनाकर पेश कर दिया, इस बाबत भी उपखण्ड अधिकारी के द्वारा विचार नहीं किया। ऐसे में अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय होने, त्रुटिपूर्ण होने, सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया हुआ होने से निरस्त करने योग्य है अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देने, ख0सं0 62 के खातेदार को आवश्यक पक्षकार बनाकर उनके खसरान में चल रहे रास्ते का भी राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सिणधरी की ओर से प्रस्ताव पेश कर ग्राम डागवा के ख0सं0 33 की रकबा भूमि में चल रहे बारहमासी रास्ते को सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त रिपोर्ट/प्रस्ताव को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश के द्वारा उक्त खसरान भूमि में चल रहे कदीमी रास्ते की भूमि/भाग को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित होने से यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 15.07.2017 का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि तहसीलदार, सिणधरी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम डागवां में ख0सं0 33 की भूमि में से चल रहे बारहमासी रास्ता वालू होना दर्शाया जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस को अपना पक्ष रखने व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान भी नहीं किया है। पत्रावली व अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा ख0सं0 33 में चल रहे रास्ते की जो रकबा भूमि 01.14 बीघा ली गई है जिसे राजस्व रेकर्ड में रकबा 01.14 बीघा भूमि दर्ज करने के स्थान पर कांट–छांट कर रकबा 03.14 बीघा भूमि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अंकित कर दी गई जिसे दुरूस्त करवाये जाने हेतु अपीलान्ट के द्वारा राजस्व अधिकारियों के समक्ष आवेदन किया जाना परिलक्षित होता है परन्तु इस बाबत कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है। इस आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, रिणधरी जिला बाउमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खसरा संख्या 33 में चल रहे रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन करने बाबत आदेश पारित किये जाने पूर्व इस खसरे को खातेदारों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः यथोचित निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 04 सितम्बर 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/23

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर